

जविप्रा/जोन-12/07/68 दिनांक 12/07/68

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 124वीं बैठक दिनांक 18.01.2008 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण ।

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	124.1 कार्यकारी समिति की 123 वीं बैठक दिनांक 18.12.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियायति रिपोर्ट ।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया ।		
2	124.2 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 142, 146 से 148, 150 से 253, 260 से 268, 301 से 401, 518 से 534, 535मि., 539मि., 540मि., 541 से 615, 616मि., 623मि., 624मि., 625 से 632, 637, 638मि., 639मि., 642मि., 660मि., 664मि., 665मि., 666मि., 667 से 685, 686मि., से 690मि., 736मि., 738मि., 739मि., 740 से 760, 761मि., 762 से 770, 771मि., 772मि., 773मि., 797मि., 798मि., 799, 800मि., 170/948, 244/911, 247/937, 250/938, 251/939, 564/914, 636/946, 786/910 किता 354 रकबा 109.81 है 0 खातेदारों की एवं ख.नं. 387, 402, 633, 634, 635, 636 किता 6 रकबा 1.51 है 0 जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि कुल किता 370 कुल रकबा 111.32 है 0 का आवासीय व अन्य क्षेत्र से औद्योगिक (रिक्त) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। विनोद अजमेरा सलाहकार (रीको)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 142, 146 से 148, 150 से 253, 260 से 268, 301 से 401, 518 से 534, 535मि., 539मि., 540मि., 541 से 615, 616मि., 623मि., 624मि., 625 से 685, 686मि., से 690मि., 736मि., 738मि., 739मि., 740 से 760, 761मि., 762 से 770, 771मि., 772मि., 773मि., 797मि., 798मि., 799, 800मि., 170/948, 244/911, 247/937, 250/938, 251/939, 564/914, 636/946, 786/910 किता 354 रकबा 109.81 है 0 खातेदारों की एवं ख.नं. 387, 402, 633, 634, 635, 636 किता 6 रकबा 1.51 है 0 जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि कुल किता 370 कुल रकबा 111.32 है 0 का आवासीय व अन्य क्षेत्र से औद्योगिक (रिक्त) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वग से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
3	124.3 जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा मोती भवन गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना हनुमान नगर-ए के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या ए-22 व ए-23 क्षेत्रफल 1086.28 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (दलसिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा मोती भवन गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना हनुमान नगर-ए के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या ए-22 व ए-23 क्षेत्रफल 1086.28 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होंगे।	उपायुक्त जोन-7	
4	124.4 जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा मोती भवन गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना हनुमान नगर-ए के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या ए-14 व ए-36 क्षेत्रफल 777.77 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कु. लखवीर कौर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा मोती भवन गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना हनुमान नगर-ए के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या ए-14 व ए-36 क्षेत्रफल 777.77 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होंगे।	उपायुक्त जोन-7	
5	124.5 जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा मोती भवन गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना हनुमान नगर, अजमेर रोड के भूखण्ड संख्या डी-237 क्षेत्रफल 555.55 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सुरेश चन्द मेहता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा मोती भवन गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना हनुमान नगर, अजमेर रोड के भूखण्ड संख्या डी-237 क्षेत्रफल 555.55 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होंगे।	उपायुक्त जोन-7	
6	124.6 जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा पथिक गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना भृगु नगर के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 508.88 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री रामनारायण सैनी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा पथिक गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना भृगु नगर के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 508.88 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड पर किये हुये निर्माण के सैटबैक वाईलेशन को ध्वस्त करने पर धारा 25(1) की अधिसूचना जारी की जावे। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होंगे।	उपायुक्त जोन-7	
7	124.7 जविप्रा क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना "वैशाली नगर" भूखण्ड संख्या जी-15 क्षेत्रफल 216.67 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सुरेश चन्द मेहता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना "वैशाली नगर" भूखण्ड संख्या जी-15 क्षेत्रफल 216.67 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होंगे। धारा 25(1) की अधिसूचना की कार्यवाही अवैध निर्माण हटाने पर की जावे।	उपायुक्त जोन-7	

क्र.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
8	124.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के ख.नं. 7100, 7093/1 व 7098/1 रकबा 3200 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक (हॉस्पिटल) किये जाने के संबंध में। (रघुनाथ)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के ख.नं. 7100, 7093/1 व 7098/1 रकबा 3200 व.मी. भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 709 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 2491 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक (हॉस्पिटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-12	
9	124.9	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए-830 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए-830 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
10	124.10	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-1041 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-1041 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
11	124.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 2 से 6, 7/104, 8/102, 9 कुल किता 8 रकबा 1.49 है। 0 में से खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त रकबा 1.36 है। 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (ईश्वर आडवाणी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 2 से 6, 7/104, 8/102, 9 कुल किता 8 रकबा 1.49 है। 0 में से खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त रकबा 13588.75 व.मी. भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग में आने वाली 1716 व.मी. तथा प्लान्टेशन कोरीडोर में आने वाली 2707 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 9165.75 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
12	124.12	चित्रकूट योजना सेक्टर 3 में नीलामी से कय किया गया बहुउद्देशीय व्यावसायिक भूखण्ड की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाधत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से कय किया गया भूखण्ड की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटी से ब्याज पैन्लटी की राशि नियमानुसार ली जावे।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
13	124.13	चककरोल योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या 152 जो नीलामी से कय किया गया की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाधत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से कय किया गया भूखण्ड सं. 152 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटी से ब्याज पैन्लटी की राशि नियमानुसार ली जावे।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
14	124.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित गुलाबवाडी ग्रामिण समिति की अनुमोदित योजना डॉक्टर्स कॉलोनी, अजमेर रोड के पुनर्गठित भूखण्ड सं 144 व 171 क्षेत्रफल 1265.35 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री नागरमल अग्रवाल व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गुलाबवाडी ग्रामिण समिति की अनुमोदित योजना डॉक्टर्स कॉलोनी, अजमेर रोड के पुनर्गठित भूखण्ड सं 144 व 171 क्षेत्रफल 1265.35 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। मौके पर भूखण्ड के कोने पर निर्मित दुकान तोड़ने के पश्चात् धारा 25(1) की अधिसूचना जारी की जावे। आवेदित भूखण्ड पर नगरपालिका योजनानुसार देय होगी।	उपायुक्त जोन-7	
15	124.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम हरद्वानपुरा तहसील बरसी के खसरा नम्बर 6 व 7 व 14 कुल किता 3 कुल रकबा 58 बीघा 2 बिसवा अर्थात् 17575.25 वर्गमी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती जगदम्बा अग्रवाल व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर पर्याप्त अपेक्षित रकबा उपलब्ध होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया।	उपायुक्त जोन-12	
16	124.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम दगारामपुरा तहसील बरसी के खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिसवा अर्थात् 21372 वर्गमी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री बाबूलाल मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम दगारामपुरा तहसील बरसी के खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिसवा अर्थात् 21372 वर्गमी. भूमि को सौ मेष पर खसरा सुपर ईम्पोज किये जाने पर कुल 20720 व.मी. भूमि प्राप्त होती है जिस में से सड़क सीमा में निहित 968 व.मी. जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 19752 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-12	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
17	124.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजखेड़ा ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 18 से 25 कुल किता 8 रकबा 3.25 हेक्टेयर में से 0.81 हेक्टेयर अर्थात् 8100 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (गुडलक विल्डहोम प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजखेड़ा ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 18 से 25 कुल किता 8 रकबा 3.25 हेक्टेयर में से 0.81 हेक्टेयर अर्थात् 8100 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
18	124.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजखेड़ा ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 715, 718, 719, 445, 446, 447, 448, 672/2226, 684, 685, 686, 687, 688, 701/2225, 702/2158, 703, 692, 693, 694, 695, 708, 709, 710, 711, 702/2220, 706, 707, 712, 745, 747/2219, 748, 375, 702/2221 763, 374, 674, 682, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 698, 699, 700, 704, 705, 744, 742, 743 कुल किता 51 कुल रकबा 17.13 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (छोटर पुत्र मान वगैरह जरिये मुख्यारआम श्री रामबाबू अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजखेड़ा ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 715, 718, 719, 445, 446, 447, 448, 672/2226, 684, 685, 686, 687, 688, 701/2225, 702/2158, 703, 692, 693, 694, 695, 708, 709, 710, 711, 702/2220, 706, 707, 712, 745, 747/2219, 748, 375, 702/2221 763, 374, 674, 682, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 698, 699, 700, 704, 705, 744, 742, 743 कुल किता 51 कुल रकबा 17.13 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
19	124.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित शंकर भवन ग.नि.स.समिति की योजना पंचशील कॉलोनी के भूखण्ड सं. ए-6 क्षेत्रफल 465.13 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (मैसर्स आदित्य डिस्ट्रीब्यूटर प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित शंकर भवन ग.नि.स.समिति की योजना पंचशील कॉलोनी के भूखण्ड सं. ए-6 क्षेत्रफल 465.13 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होंगे।	उपायुक्त जोन-5	

अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)

20	124.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजखेड़ा ग्राम किशनपुरा तहसील सागानेर के खसरा नं. 516, 521, 521/1 कुल किता 3 रकबा 0.26 हे० अर्थात् 3107.74 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (अनिल बाफना)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजखेड़ा ग्राम किशनपुरा तहसील सागानेर के खसरा नं. 516, 521, 521/1 कुल किता 3 रकबा 0.26 हे० अर्थात् 3107.74 वर्ग गज भूमि में से रोडक सागानेर में निर्मित होने वाली 390.66 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-9	
21	124.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी के ख.नं. 1107, 1108/1, 1109/1, 1110, 1111, 1112/1, 1113 किता 7 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 24,956.00 वर्गगज (20865.71 व.मी.) भूमि का ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (मै. पुजा एज्युकेशन सोसायटी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी के ख.नं. 1107, 1108/1, 1109/1, 1110, 1111, 1112/1, 1113 किता 7 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 24,956.00 वर्गगज (20865.71 व.मी.) भूमि का ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
22	124.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सागानेर के खसरा नं. 1893/312 रकबा 0.25 हे० ख.नं. 1894/311 रकबा 0.25 हे० किता 2 कुल रकबा 0.50 हे० में से रोड 945.62 वर्गमी. छोड़ते हुये शेष 4054.81 वर्गमी. भूमि का ग्रामीण क्षेत्र से व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (मैड स्काई प्रोपर्टी प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर पर्याप्त अप्रोच रोड उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया।	उपायुक्त जोन-11	
23	124.23	बेलदारों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारों/हैलपर के पद पर पद परिवर्तन किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति 60 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध 16 नियमित बेलदारों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत विकल्प पत्रानुसार बेलदारों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद में परिवर्तन करने एवं 9 हैलपरो के रिक्त पदों के विरुद्ध 9 नियमित बेलदारों को हैलपर के पद पर स्वेच्छा से प्रस्तुत विकल्प पत्रानुसार बेलदारों की तिथि से पद परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। उक्त पद परिवर्तन के फलस्वरूप बेलदारों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/हैलपर बनने वाले कर्मचारियों की गरिष्ठता पूर्व में जारी गरिष्ठता सूची में अंकित कर्मचारियों से कनिष्ठ रहेगी।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	

*(Handwritten signature)*

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
24	124.24	जवाहर सर्फैल से जगत नगर रोड पर मोलाजी से कच किया गया बहुउद्देशीय व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण बावत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मोलाजी से कच किया गया बहुउद्देशीय भूखण्ड संख्या 1 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। आवटी से ब्याज पैनल्टी की राशि नियमानुसार ली जावे।	अति निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निरंतरण)	
25	124.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोर्पोरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 36 क्षेत्रफल 368.75 वर्ग मज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (इन्दिरा शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोर्पोरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 36 क्षेत्रफल 368.75 वर्ग मज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होने पर प्रार्थी द्वारा अपने भूखण्ड पर स्थित निर्मित क्षेत्र एवं पर्याप्त पार्किंग क्षमता दर्शाते हुए नक्शा सतर्क किया है, जिसमें भूखण्ड की सम्पूर्ण की स्थिति दर्शा दी गई है, तथा नियमों के विरुद्ध निर्माण के संबंध में आवेदक द्वारा अपथ-पत्र प्रेषित किया है। प्रार्थी के द्वारा निर्माण को नियमानुसार करा लेगी।	उपायुक्त जौन-1	
26	124.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के खसरा नं 2327, 2344 से 2353, 2357 से 2366, 2323, 2328, 2329, 2343 कुल किता 25 कुल रकबा 12.29 हेक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (उगायच कोलोनाईजर्स प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना की अप्रॉच रोड सानसिटी योजना से उपलब्ध है। सानसिटी योजना को ले-आउट प्लान जविप्रा द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है जिससे अनुमोदित योजना की सड़के जविप्रा में निहित होती है। अतः राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के खसरा नं. 2327, 2344 से 2353, 2357 से 2366, 2323, 2328, 2329, 2343 कुल किता 25 कुल रकबा 12.29 हेक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जौन-12	
27	124.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृहनिर्माण की योजना हनुमान नगर, सिरसी रोड, के भूखण्ड संख्या ए-31, क्षेत्रफल 684.62 वर्ग म. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (दिलीकराज शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृहनिर्माण की योजना हनुमान नगर, सिरसी रोड, के भूखण्ड संख्या ए-31, क्षेत्रफल 684.62 वर्ग म. का राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नियमानुसार पुनर्गठन करने तयार किया जावे। अतः पुनर्गठन की शर्त पर भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय किया गया, जिसकी औपनिग 160' सड़क पर होगी। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होगे।	उपायुक्त जौन-7	
28	124.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1009, 2972/1010 कुल किता 2 रकबा 560 हेक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (सिंसेर लॉटस एज्युकेशन सोसायटी )	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1009, 2972/1010 कुल किता 2 रकबा 560 हेक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने का निर्णय दिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग म. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जौन-11	
29	124.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चांदवास तहसील फागी के खसरा नम्बर 154, 278 से 282 कुल किता 6 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती अजय)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चांदवास तहसील फागी के खसरा नम्बर 154, 278 से 282 कुल किता 6 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग म. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जौन-11	
30	124.30	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम डाबडी तहसील आमेर के खसरा नं 641 कुल रकबा 1.92 हेक्टर अर्थात् 19200 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्रीमती शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम डाबडी तहसील आमेर के खसरा नं. 641 कुल रकबा 1.92 हेक्टर अर्थात् 19200 वर्गमीटर भूमि में से अधिक भूमि में निहित होने वाली 2280 वर्गमी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 16920 वर्गमी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग म. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जौन-12	


*(Handwritten signature)*

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
31	124.31	जविप्रा क्षेत्र में स्थित मास्टर प्लान 2011 में कालवाड से निवाड के जोड़ने वाली 200' सड़क प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित सड़क पर अधिकतर कालोनिधा विकसित हो चुकी है। 200' सड़क बनाये जाने में कठिनाई आने के कारण बी.पी.सी (एली) की 112वीं बैठक दिनांक 7.11.07 में 200' सड़क को विलोपित करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित मास्टर प्लान 2011 में कालवाड से निवाड के जोड़ने वाली प्रस्तावित 200' सड़क पर अधिकतर कालोनिधा विकसित हो चुकी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 53 बीघा भूमि है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' सड़क में निर्मित मकान व 30' की सड़क स्थित है। मास्टर प्लान की 200' सड़क बनाये जाने में कठिनाई आने के कारण बी.पी.सी (एल.पी) की 112वीं बैठक दिनांक 7.11.07 में 200' सड़क को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। अतः मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' सड़क में से यनी हुयी सड़को को छोड़ने हुये शेष भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-7	
32	124.32	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा राज्य गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना आभारसरी कैम्पस शिरसी रोड के भूखण्ड संख्या 198 एवं 199 क्षेत्रफल 1009.63 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (संतोष कुमार)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा सयुक्त गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना आभारसरी कैम्पस शिरसी रोड के भूखण्ड संख्या 198 एवं 199 क्षेत्रफल 1009.63 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होगे।	उपायुक्त जोन-7	
33	124.33	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजरव ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 269, 270, 271, 272, 276, 278, 283, 275/1081, 316/1 किता 9 रकबा 2.07 है 0 में से 7018.54 व.मी. भूमि सड़क में छोड़ने के पश्चात् शेष 13681.46 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (मि. हाईटेक लि. डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजरव ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 269, 270, 271, 272, 276, 278, 283, 275/1081, 316/1 किता 9 रकबा 2.07 है 0 में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 7018.54 व.मी. जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 13681.46 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
34	124.34	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के ख.नं. 615, 616, 669 किता 3 रकबा 2.73 है 0 ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 167मिन रकबा 3.37 है 0 ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 455मि. रकबा 3.00 है 0 ग्राम लक्ष्मीपुरा काटावाला तहसील चाकसू के ख.नं. 23मि., 26, 38 किता 3 रकबा 4.38 है 0 भूमि का आवासीय व मिश्रित से व्यावसायिक (होटल) उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के ख.नं. 615, 616, 669 किता 3 रकबा 2.73 है 0 ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 167मिन. रकबा 3.37 है 0 ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 455मि. रकबा 3.00 है 0 ग्राम लक्ष्मीपुरा काटावाला तहसील चाकसू के ख.नं. 23मि., 26, 38 किता 3 रकबा 4.38 है 0 भूमि का आवासीय व मिश्रित से व्यावसायिक (होटल) उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
35	124.35	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 133, 133/1687, 133/1387/1842, 134 किता 4 रकबा 2.09 है 0 में से 1603.25 व.मी. प्लान्टेशन कारीडोर एवं सड़क में नि:शुल्क छोड़ने के पश्चात् शेष 19296.75 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से वाणिज्यिक उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 133, 133/1687, 133/1387/1842, 134 किता 4 रकबा 2.09 है 0 में से 1603.25 व.मी. प्लान्टेशन कारीडोर एवं सड़क सीमा में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 19296.75 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से वाणिज्यिक उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
36	124.36	आवासीय योजना एवं नगर विकास 1998 के क्लोज 12(2) के क्रम में श्री विनय चौरडिया द्वारा प्रस्तुत इन्द्रप्रथम योजना के अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :- 1. उक्त भूमि को भू-उपान्तरण संस्थानिक एवं शैक्षणिक से आवासीय किया जाना था, जिसके लिए जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(3) की अधिसूचना दिनांक 25.9.01 को जारी कर दी गई थी जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। प्रस्तावित योजना की भूमि 103 बीघा .08 बिरवा होने के कारण जविप्रा अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में भू-उपयोग उपान्तरण हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे। 2. ख.नं. 111, 173, 174 तथा 175 की 90बी की कार्यवाही की जा चुकी है, जिस कारण से उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है। अतः 90बी की कार्यवाही होने के उपरान्त भूमि पर पट्टे प्राधिकरण द्वारा दिये जा सकते हैं। 3. बीपीसी (एलपी) की 42वीं बैठक दिनांक 22.11.02 में लिये निर्णयानुसार विकासकर्ता को 5 प्रतिशत भूमि जविप्रा के पक्ष में समर्पित की जानी है। विकासकर्ता ने 151 बीघा भूमि जविप्रा के पक्ष में समर्पित कर रखी है एवं विकासकर्ता ने समर्पित की जाने वाली उक्त भूमि में से समर्पित करने का प्रस्ताव दिया है के संबंध में निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता जविप्रा के पक्ष में समर्पित की जाने वाली भूमि का सीमांकन कर बतायेगा तथा अनुमोदित योजना 103 बीघा .08 बिरवा भूमि से जोड़ने के लिये पहुँच मार्ग (Access Road) का निर्माण स्वयं के खर्चे पर जविप्रा के द्वारा पट्टा प्रारम्भ करने से 6 माह के अन्दर प्राधिकरण को निर्माण कर जविप्रा को समर्पित करेगा। इस संबंध में विकासकर्ता द्वारा रु. 100/- के रकम पेपर पर अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करेगा। 4. बीपीसी (एलपी) की 42वीं बैठक दिनांक 22.11.02 में इस योजना की वैधानिक स्वीकृति दी गई थी। बसमय हाईटेन्शन लाईन के राईट ऑफ वे के नीचे आ रहे भूखण्डों के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं थे परन्तु उक्त दिशा निर्देश पावर ग्रिड ऑफ इण्डिया लि. के पत्र क्रमांक उ. क्षेत्र-1/बस्सी/पारेषण -15/1649 दिनांक 26.2004 के द्वारा प्राप्त हो गये हैं। इसलिए अनुमोदित योजना में हाईटेन्शन/एलटी लाईन के राईट ऑफ वे में आ रहे भूखण्डों का जितना भाग प्रभावित हो रहा है को कोस करते हुये शेष अनुमोदन योग्य भूखण्डों की ही स्वीकृति दी जावे। 5. यूनाईटेड टाउनशिप कारपोरेशन के पूर्व प्रोपराईटर श्री कमलेन्द्र सिंह कुडकी एवं मै. चौरडिया बिल्डकॉन प्रा.लि. के प्रोपराईटर श्री विनय चौरडिया के मध्य आर्बिटेटर के द्वारा दिये गये निर्णय के कारण श्री विनय चौरडिया द्वारा जविप्रा में प्रस्तुत सदस्यों की सूची को मान्यता दी जावे। 6. जविप्रा द्वारा भूखण्ड चारित्र्य को पट्टा जारी करने से पूर्व विकासकर्ता/मालिकवारी के द्वारा विप्राकृत देय जग्गा जमा करानी होगी।	सम्बन्धित अधिकारी उपायुक्त जोन-7	
37	124.37	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हथरोई तहसील जयपुर के ख.नं. 428 क्षेत्रफल 16.07 है 0 मे से 1188 वर्ग गज (गोलाई) कम करते हुये) भूमि जिसे भूखण्ड संख्या ए-1 अंकित है का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संका में। (शकुन्तला मंगल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम हथरोई तहसील जयपुर के ख.नं. 428 क्षेत्रफल 16.07 है 0 मे से 1188 वर्ग गज भूमि में से सड़क की गोलाई हेतु 10.12 वर्ग गज जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1177.88 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड के पैरामीटर से आवासीय अनुसार ही देय होगा।	उपायुक्त जोन-1	
38	124.38	खटवाडा (महापुरा) योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या 40 जो नीलामी से क्रय किया गया की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण थापत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से खटवाडा (महापुरा) योजना में नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. 40 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटी से ब्याज पैनल्टी की राशि नियमानुसार ली जावे।	अतः निदेशक राजस्थ एवं समर्पित नियंत्रण	

*Oh*

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
39	124.39	शिवशक्ति नगर विस्तार योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एएस-1 जो नीलामी से क्रय किया गया की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से शिवशक्ति नगर विस्तार योजना में नीलामी से क्रय किया गया व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एएस-1 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटी से ब्याज पैनल्टी की राशि नियमानुसार ली जावे।	
40	124.40	Agenda Regarding Approvel of Tender for the work of Shifting of warer supply pipe line for improvement of wjok of 33 roads.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता पीएचई प्रथम/सी.ई (पीएचई) के प्रस्तावानुसार न्यूनतम निवादाता मै0 पहाडिया कन्सट्रक्शन कम्पनी की दर @ 19.50% Above (अधिक) राशि रुपये 2,31,49,223.33 का अनुमोदन किया गया।	Zonal Eng. PHE-I /C.E. PHE
41	124.41	जविप्रा क्षेत्र में स्थित श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना रामनाथपुरी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 39, 40, व 41 (उपविभाजित भाग क्षेत्रफल 300 व.ग.) क्षेत्रफल 1493.78 व.ग. में से 476.32 व.ग. का भू-क्षेत्र मास्टर प्लान अनुसार व्यावसायिक भू-उपयोग होने के कारण उक्त भूमि को छोड़ते हुए पुनर्गठित भूखण्ड की शेष 1017.46 व.ग. भूमि का उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (भीता देनी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना रामनाथपुरी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 39, 40, व 41 (उपविभाजित भाग क्षेत्रफल 300 व.ग.) क्षेत्रफल 1493.78 व.ग. में से 476.32 व.ग. का भू-क्षेत्र मास्टर प्लान अनुसार व्यावसायिक भू-उपयोग होने के कारण उक्त भूमि को छोड़ते हुए पुनर्गठित भूखण्ड की शेष 1017.46 व.ग. भूमि का उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड के पैरामीटर्स योजनानुसार देय होगा।	उपायुक्त जोन-8

  
साक्षि,

जविप्रा, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.) / जविप्रा / उपा. / जोन-12 / 2008 / 681  
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 2/2/08

क्र.सं.	पद	विभाग का नाम
1	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	सीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर प्रशासक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।